

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 52/2016 दायर दिनांक 04.04.2016

वादी	प्रतिवादीगण
1. गोविन्दराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	1. हीराराम पुत्र हनुमानराम 2. बोदूराम पुत्र हनुमानराम 3. भूराराम पुत्र हनुमानराम 4. नारायण पुत्र हनुमानराम 5. नंदाराम पुत्र हनुमानराम 6. गिरधारीराम पुत्र हनुमानराम 7. मोहनी पत्नि हनुमानराम
बनाम्	8. हेमा पुत्री हनुमानराम समस्त जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. मेनेजर सैन्टल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर। 10. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीडवाना जिला नागौर राज0। 11. उप-तहसीलदार मौलासर। 12. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

उपस्थित:-
श्री दूर्जाराम पूनियां वकील वादी।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 12.01.2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 07 की सिरोली खातेदारी के खेत खसरा सं0 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम मौलासर के उक्त खसरा में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 07 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 12.05.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1218 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् को सुना गया जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिमे पत्रांक: 1218 दिनांक 23.06.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



-:: आदेश ::-


अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 07 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के गत खसरा सं० 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा के वर्तमान खसरा सं० 1269 रकबा 0.03, खसरा सं० 1270 रकबा 0.01 हैक्टे०, खसरा सं० 1271 रकबा 0.12 हैक्टे० व खसरा सं० 1273/1961 रकबा 2.11 हैक्टे० वाकै सरहद ग्राम मौलासर की भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1218 दिनांक 23.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1218 दिनांक 23.06.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (जीतेंद्र कुलहरी R.A.S.)
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को सरे इजलास सुनाया

गया।


 (जीतेंद्र कुलहरी R.A.S.)
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 52/2016 दायर दिनांक 04.04.2016

वादी
1. गोविन्दराम पुत्र हनुमानराम जाति
जाट निवासी मौलासर तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रतिवादीगण
1. हीराराम पुत्र हनुमानराम
2. बोदूराम पुत्र हनुमानराम
3. भूराराम पुत्र हनुमानराम
4. नारायण पुत्र हनुमानराम
5. नंदाराम पुत्र हनुमानराम
6. गिरधारीराम पुत्र हनुमानराम
7. मोहनी पत्नि हनुमानराम
8. हेमा पुत्री हनुमानराम समस्त जाति जाट
निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0
9. मेनेजर सैन्टल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा
मौलासर।
10. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड
जयपुर शाखा डीडवाना जिला नागौर
राज0।
11. उप-तहसीलदार मौलासर।
12. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 12.01.2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दूर्जाराम पूनियां वकील वादी की ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 07 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के गत खसरा सं0 1225/459 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा के वर्तमान खसरा सं0 1269 रकबा 0.03, खसरा सं0 1270 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा सं0 1271 रकबा 0.12 हैक्टे0 व खसरा सं0 1273/1961 रकबा 2.11 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम मौलासर की भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1218 दिनांक 23.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1218 दिनांक 23.06.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.01.2023 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

②
सहायक कलक्टर
सहायक कमिश्नर
डीडीवासी
डीडीवासी (नागौर)